2013 | 00001

न्यायालय जिला कलक्टर,बाड़मेर कोर्ट कैम्प सेड़वा

पीठासीन अधिकारी–श्री सुधीर कुमार शर्मा आई.ए.एस.

<u>राजस्व अपील संख्या 19/2013</u>

अपीलांट	बनाम्	रेस्पोडेंट्स
मानाराम पुत्र जोधाराम जाति मेगवाल निवासी सोनड़ी तहसील सेड़वा		1.कुम्भाराम पुत्र जोधाराम 2.मालाराम पुत्र जोधाराम 3.दीपाराम पुत्र उर्जाराम 4.सुखराम पुत्र वगताराम जाति मेगवाल निवासी सोनड़ी तहसील,सेड़वा 5.तहसीलदार,सेड़वा

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश दिनाक 07.02.2013 द्वारा तहसीलदार,सेड़वा।

उपस्थितः– 1.अपीलांट मय अधिवक्ता श्री बाबुलाल विश्नोई उपस्थित।
2.रेस्पोडेंट संख्या 02से 05 उपस्थित,01 अनुपस्थित।
3.रेस्पोडेंट सं. 06 तहसीलदार सेड़वा उपस्थित।

<u>निर्णय</u> दिनांक 10.06.2016

1. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की पैतृक खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 373 व 448 कुल रकबा 100.06 बीघा ग्राम सोनड़ी में आयी हुई थी। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01से 03 ने अपनी उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार सेड़वा के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया। जिस पर तहसीलदार सेड़वा ने बाद जॉच अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2013 द्वारा पक्षकारान की आपसी सहमति का प्रार्थना पत्र स्वीकृत कर दिया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश का पूर्व में ज्ञान नहीं होने से जानकारी की तिथि से अपील को अंदर मयाद सुमार करने का भी निवेदन किया। अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र भी पेश किया गया।
2. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर,रेस्पोडेंट्स को सम्मन किये एंव अपीलाधीन पत्रावली तलब कीं।

जिला कलक्टर
बाड़मेर

3. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व कैम्प कोर्ट सेड़वा में प्रस्तुत हुई जिसके लिये उभय पक्ष के अभिभाषकगण व पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई थी। अपीलांट व इनके अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेंट्स संख्या 02 से 05 उपस्थित रहे। रेस्पोडेंट संख्या 01 अनुपस्थित रहा। रेस्पोडेंट संख्या 06 तहसीलदार सेड़वा उपस्थित रहे।

4. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलांट ने यह अपील तहसीलदार सेड़वा द्वारा पारित विभाजन आदेश दिनांक 07.02.2013 2010 के विरूद्ध पेश की है। अपीलांटस एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 की संयुक्त खातेदारी की भूमि ग्राम सोनड़ी में खसरा नम्बर 373 रकबा 26.06 बीघा एंव खसरा नम्बर 448 रकबा 74.00 कुल रकबा 100.6 बीघा आयी हुई है। अपील पत्र के अवलोकन से अपीलांट ने अपनी अपील में यह कही नहीं बताया कि उसे वादग्रस्त भूमि के कितने क्षेत्रफल का हिस्सा बंटवाड़ा में कम दिया गया तथा यह भी नहीं बताया कि विभाजन आदेश में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के किन प्रावधानों का उल्लंघन हुआ। अपीलांट एंव रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03 ने अपनी इस संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु तहसीलदार सेड़वा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया। इस प्रार्थना पत्र पर अपीलांट एंव रेस्पोडेंटस के हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान है। पहिचानकर्ता पटवारी हल्का शोभाला दर्शान ने पहचान दी है। जिसके आधार पर तहसीलदार सेड़वा ने चौसाला जमबांदी, नक्शा मे दर्शाये अनुसार एंव मौके अनुसार सह खातेदार काबिज होने के अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही होने से अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2013 द्वारा विभाजन प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इसमें कोई वैधानिक त्रुटि एंव अनियमितता प्रतीत नहीं हुई है।

5. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपीलांट की यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है एंव अपीलाधीन आदेश दिनांक 07.02.2013यथावत कायम रखा जाता है।

(सुधीर कुमार शर्मा)
जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय जिला कलक्टर सत्यमेव जयते बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश खुले न्यायालय कैम्प सेड़वा में आज दिनांक 10.06.2016 को सुनाया गया।

जिला कलक्टर,बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर